न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 89 / 2017 अपील

उनवान

1. श्री भूरालाल पिता अमरचन्द धाकड़ निवासी फतेहनगर त0 बिजौलिया	**बनाम**	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिजौलिया, जिला–भीलवाडा (राज0)
— अपीलार्थी		—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 91 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बिजौलिया, बमामले प्रकरण संख्या 86 / 2017, निर्णय दिनांक 18.10.2017

उपस्थित :– श्री आर0सी0सारस्वत अधि0 अपीलार्थीगण की ओर से
राजकीय अधि0 उपस्थित

निर्णय

दिनांक 23/ 05 / 2018

अपीलार्थीगण का ग्राम फतेहनगर पटवार हल्का नयानगर तहसील बिजौलिया की आराजी नम्बर 390 रकबा 2.00 बीघा किस्म चरागाह पर अतिक्रमण पाए जाने पर तहसीलदार बिजौलिया के द्वारा धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956 के तहत प्रकरण संख्या 86 / 2017 दर्ज कर सुनवाई करते हुए दिनांक 18.10.2017 विधिवत निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी को बेदखल करते हुए शास्ति आरोपित किए जाने से यह अपील प्रस्तुत की है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है –

1–यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाकयात त्रुटी की है जो निरस्त योग्य है।

2–यह कि ग्राम फतेहनगर की चरागाह आराजी नम्बर 390 पर अपीलार्थीगण का इनके बाप दादाओं के समय से विगत 25–30 वर्षों से लगातार कब्जा चला आ रहा है परन्तु कब्जे पर ध्यान नही देकर आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है।

3–यह कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बाड़ों व कब्जों को नियमन हेतु परिपत्र जारी किए हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन जारी परिपत्रों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है।

4–यह कि ग्राम पंचायत नयानगर के द्वारा दिनांक 05.08.2017 को आबादी भूमि से लगी इस अतिक्रमित आराजी नम्बर 390 रकबा 100 बीघा में से 17 बीघा भूमि को आबादी के आवंटन हेतु ग्रामसभा में प्रस्ताव लिया जाकर प्रकरण जिला कलक्टर भीलवाड़ा को भिजवाया जो राज्य सरकार में विचाराधीन है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया जो खारिज योग्य है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त फरमाया जाकर कब्जेशुदा आराजीयात को आबादी भूमि में परिवर्तन किए जाने की कार्यवाही कर अपीलार्थीगण के कब्जे को नियमन किए जाने की नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद जांच दिनांक 02.11.2017 को दर्ज रजिस्टर करते हुए रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रत्यर्थी भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए जिनके द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस हेतु निवेदन किया। अपील मीमों के साथ में अपीलार्थीगण के द्वारा न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया के प्रकरण संख्या 86/2017 आदेश दिनांक 18.10.2017 अनवान पटवारी हल्का नयानगर बनाम श्री भूरालाल पिता अमरचन्द धाकड़ निवासी तेहनगर की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया की पत्रावली प्राप्त होने पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस में वकील अपीलान्ट के द्वारा अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी का ग्राम फतेहनगर पटवार हल्का नयानगर की आ0नं0 390 पर कच्चे–पक्के मवेशियों के लिए बाड़े बना रखे हैं । ये बाड़े अपीलार्थी के बापदादाओं के समय से बने होकर कब्जा चला आ रहा है। वादोक्त आराजी आबादी के पास स्थित होने से उक्त आराजी को आबादी में आवंटन करा अपीलार्थीगण के नाम कब्जे अनुसार नियमन हेतु अपील स्वीकार फरमाई जावे। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 14268 ग्राम पंचायत नया नगर पंचायत समिति बिजौलिया बनाम राज्य सरकार वगैरह में पारित आदेशिका दिनांक 10.11.2017 की प्रति प्रस्तुत की। वर्तमान में आबादी विस्तार हेतु आवंटन का प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। राज्य सरकार के द्वारा भी पुराने अतिक्रमणों को नियमन किए जाने हेतु समय–समय पर परिपत्र जारी किए गए हैं परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण को कब्जेशुदा भूमि से बेदखल किए जाने का जो आदेश दिया वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त फरमाया जावे। बहस में वकील अप्रार्थी राजकीय अभिभाषक के द्वारा निवेदन किया कि अपीलार्थीगण का ग्राम फतेहनगर की आराजी नम्बर 390 जिसकी किस्म चरागाह है उस पर नाजायज कब्जा कर बाड़े आदि बना रखे हैं। जबकि अपीलार्थी का पिछले 25–30 वर्षों से कभी कब्जा नहीं रहा है। चरागाह भूमि राज्य सरकार के स्तर से ही आबादी हेतु आवंटित की जा सकती है जबकि ग्राम पंचायत नयानगर के द्वारा उक्त चरागाह भूमि में से आबादी आवंटन हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाकर जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा को भिजवाया गया जो खारिज किया जा चुका है। अपीलार्थीगण का कब्जा अतिक्रमी के रूप में है जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया के द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए निर्णय पारित कर बेदखल किया गया जो उचित है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली में संलग्न अपील मीमों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा अपने अपील मीमों की ताईद में केवल अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया के प्रकरण संख्या 86/2017 निर्णय दिनांक 18.10.2017 की प्रमाणित फोटो प्रति तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण एस0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्या 14268/2017 ग्राम पंचायत नयानगर पंचायत समिति बिजौलिया बनाम राज्य सरकार

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

वगैरह में पारित आदेशिका दिनांक 10.11.2017 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की है अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया तथा कच्चे व पक्के टीन शेड मवेशियों के लिए ग्राम फतेहनगर की आ0नं0 390 चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बना रखे हैं जिसक फोटो व राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर से जारी पत्र दिनांक 30.06.2017 की फोटो प्रति एवं समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 11 अप्रेल, 2017 में प्रकाशित खबर की प्रति प्रस्तुत की है। अपीलार्थीगण ने अपने पुराने कब्जे की ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं अर्थात कब्जे के सम्बन्ध में अतिक्रमण की रिपोर्ट, पैनल्टी की रसीदें एवं पूर्व के मौका पर्चा आदि प्रस्तुत नहीं किए हैं जिससे अपीलार्थीगण का यह तथ्य सिद्ध नहीं होता है कि उनका उक्त भूमि पर उनके बाप दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की एस0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्या 14268/2017 ग्राम पंचायत नयानगर पंचायत समिति बिजौलिया बनाम राज्य सरकार वगैरह में पारित आदेशिका दिनांक 10.11.2017 की प्रति प्रस्तुत की जिसका अध्ययन किया जिसमें निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत नयानगर द्वारा ग्राम फतेहनगर की आ0नं0 390 रकबा 100 बीघा में से 5.16 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव जिला कलक्टर भीलवाड़ा के कार्यालय में भिजवा रखा है जिसका शीघ्र निस्तारण किया जावे। उक्त रिट की पालना में कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा में प्राप्त आबादी विस्तार के प्रस्ताव को अपने आदेश क्रमांक एफ. 12–3(2)आबादी/आरए/2017/4445 दिनांक 28.12.2017 के द्वारा खारिज किया जा चुका है जिसकी प्रति स्वयं सरपंच ग्राम पंचायत नयानगर पंचायत समिति बिजौलिया को भी प्रेषित की जा चुकी है। जैसाकि आबादी विस्तार हेतु प्रस्तावित आराजी नम्बर 390 की किस्म चरागाह होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में अंकित प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणियों में शुमार होने तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार, मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की डी0बी0सिविल रिट पिटीशन नं0 1554/2004 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0 1132/2011 एस.एल.पी(सी)नं0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 में चरागाह भूमियों/जोहड़ पायतन और तालाबों की भूमियों में अन्य प्रयोजन से आवंटन को अवैध माना है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16के खण्ड (i) में स्पष्ट अंकित है कि चरागाह भूमि में किसी भी तरह से खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते हैं अर्थात चरागाह भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता है। अपलार्थीगण के द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का परिपत्र दिनांक 30.06.2017 प्रस्तुत किया उसमें भी स्पष्ट अंकित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिवायचक एवं अन्य गैर मुमकिन राजस्व भूमियों पर आवास गृह व जानवरों के बाड़े बनाकर किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने से सम्बन्धित है जबकि प्रश्नगत भूमि चरागाह है इस प्रकार यह परिपत्र यहां लागू नहीं होता है। अपीलार्थीगण अपनी अपील को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे हैं। अतएव–

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया के द्वारा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 86 / 2017 में बेदखली एवं शास्ति आरोपित का पारित आदेश दिनांक 18.10.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.10.2017 को यथावत रखते हुए तहसीलदार बिजौलिया को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने बेदखली के आदेश दिनांक 18.10.2017 की पालना में मौके से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किए जाने सम्बन्धी रिपोर्ट 7 दिवस में अपीलार्थीगण के शपथ–पत्र के साथ भिजवावें। अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 23/05/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा